कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बून्दी

30/16/4/18

कार्यालय–आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय वर्गीय सेवा नियम–1999 के अन्तर्गत निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांकः शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/2856/आरपीएससी–2013/17–18 दिनांक 13.04..2018 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से कनिष्ठ–सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 में कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप पृष्ठांकित आशार्थियों को राज. सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017, पे–मेट्रिक्स **L-5** में कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय (फिक्स रेमूनरेशन) पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/कार्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राज. लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय एवं माननीय न्यायालय सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017, राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरूवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्यधीन रहेगी।

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.15(1)एफडी(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार फिक्स रेमुनरेशन रूपये 14600/– के रूप में देय होगा। इनके द्वारा प्रोबेशन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त संस्था प्रधान द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर इन्हें पद का प्रारंभिक वेतन पे–मेट्रिक **L-5** में 20800/– पर स्थाईकरण उपरान्त नियमित किया जावेगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतनवृद्वि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा। इस अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांकः प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति नवीन अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। इन अभ्यार्थियो के दस्तावेजो का सत्यापन निदेशालय स्तर पर नही किया गया है संबंधित अभ्यार्थी द्वारा अपने मूल दस्तावेज नियुक्ति अधिकारी से जांच/सत्यापन करवाये जाने की स्थिति में ही यह नियुक्ति आदेश मान्य होगा ।

इन्हें दिनांक 01.05.2018 तक पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नही करने की दशा में इनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जावेगा।

कस	मेरिट न.	नाम अभ्यार्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	आवेदन पत्र में अंकित स्थायी निवास का पता	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान एवं जिला
1	5357	MANISH KUMAR VARMA	कन्हैया लाल वर्मा	13.05.1992	रेगरो का माहल्ला ग्राम–पोस्ट करवर तह.नैनवा जिला–बून्दी	SC	SCM	राउमावि सुन्दरपुरा (बून्दी)
2	5460	CHETRAM MEENA	दानमल मीणा	15.07.1992	ग्राम–बूडिया पोस्ट जलोदा तह0 के0पाटन जिला–बून्दी	ST	STM	राउमावि रायथल (बून्दी)

संबंधित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगें :–

1. *संबंधित अभ्यर्थियो के पदस्थापन आदेश बगैर प्रमाणपत्रो के जांच के ही जारी किये गये है संबंधित संस्थाप्रधान अंकित अभ्यार्थी जिसका पदस्थापन आपके विद्यालय में किया गया है वह निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण करने के लिये विद्यालय मे उपस्थित होता है तो उसे कार्यग्रहण नही करवाये । संबंधित अभ्यार्थी को प्रमाणपत्रो की जांच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बून्दी कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करे । प्रमाण पत्रो की जांच के सत्यापन प्रमाणपत्र (जिशिअमा0बून्दी कार्यालय में) उपरान्त ही कार्यग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित करे ।*
2. *नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा **इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाया जायेगा** । पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा ।*
3. *नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक–एफ–7(1) डीओपी/ए–ा/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होनें संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे ।*
4. *राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है , अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य की बाहर की संस्थाओं से शेक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है , उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जाती है । अतः संबंधित अभ्यर्थी से कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेगे कि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही*

Scanned by CamScanner

पाई गई तो उन्है प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

5. संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यार्थी द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक ,आयु , जाति आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेगें , कोई भिन्नता / संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुये अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेंगे ।
6. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये । महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाणपत्र मान्य नही है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाणपत्र जोकि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा । ऐसा नही करने पर कार्यग्रहण नही करवाये। आवेदनपत्र इस कार्यालय को वापिस लोटा देवे । उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाणपत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर सुनिश्चित करे । यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये
7. संबंधित संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदनपत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करे जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है ।
8. चयनित अभ्यर्थियो की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओ के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी ।
9. चयनित आशार्थियो के कार्यग्रहण से पूर्व संस्थाप्रधान उनकी पात्रता,आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजो की जांच किया जाना सुनिश्चित करे ।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रूटिपूर्ण , जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांकः– प.7(3)कार्मिक/ क–2/06पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने सम्बन्धी बचन बंधता (**Undeertaking**) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
12. राजस्थान सिवल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के नियम 16 की अनुसूची 4 में प्रदत्त निर्देशों की पालना संस्थाप्रधान द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
13. इस कार्यालय द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र की एक प्रति एवं वांछित शपथपत्र संबंधित की व्यक्तिगत पंजिका में रखेंगे।

(तेज कँवर)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बून्दी
दिनांक 16.04.2018

कमांक–जिशिअ/मा/बू/संस्था–1/नियुक्त कनिष्ठ सहायक/2018/ 30

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन उप सचिव, महोदय प्रथम शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान,जयपुर ।
3. शासन उप सचिव, महोदय शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान,जयपुर ।
4. शासन उप सचिव महोदय कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान जयपुर ।
5. निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा ,राजस्थान बीकानेर ।
6. सचिव, महोदय राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
7. संयुक्त विधि परामर्शी महोदय शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी महोदय माध्यमिक–विधि जयपुर/जोधपुर ।
9. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर ।
10. संबंधित संस्थाप्रधान राउमावि .....जिला–बून्दी को देकर लेख है कि आप स्थानीय कार्यालय से संबंधित अभ्यार्थी का आवेदनपत्र प्राप्त करे तत्पश्चात ही संबंधित के दस्तावेजो का आवेदनपत्र से मिलान करके ही कार्यग्रहण करवाये ।
11. संबंधित आशार्थी (पंजिकृत डाक द्वारा)
12. रक्षित पत्रावली ।

(तेज कँवर)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बून्दी

Scanned by CamScanner